झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

(10)

—: अधिसूचना :—

राँची, दिनांक– 28/01/2015 ई०।

सं०–11/कारा विविध–30/2014–468/राज्य स्थित काराओं में जनाकीर्णता (Overcrowding) कम करने के निमित्त Cr. P.C. की धारा 436 A के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में निम्नरूपेण समीक्षा समिति गठित की जाती है :—

(i)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	—	अध्यक्ष
(ii)	उपायुक्त	—	सदस्य
(iii)	पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(iv)	कारा अधीक्षक	—	सदस्य सचिव
(v)	सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार	—	विशेष आमंत्रित सदस्य
(vi)	प्रोबेशन पदाधिकारी	—	विशेष आमंत्रित सदस्य

2. यह समीक्षा समिति प्रत्येक तीन माह में समीक्षा बैठक करेगी एवं Cr. P.C. की धारा 436 A के आलोक में संसीमित विचाराधीन बंदियों के मामले की समीक्षा करेगी एवं आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके लिए काराधीक्षक द्वारा समीक्ष्य प्रस्ताव जिला विधिक प्राधिकार एवं समीक्षा समिति को समर्पित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राम लखन राम)
सरकार के अवर सचिव।

भारती/–

ज्ञापांक–11/कारा विविध–30/2014–468/ राँची, दिनांक–28/01/2015 ई०।

प्रतिलिपि–अधीक्षक राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–11/कारा विविध–30/2014–468/ राँची, दिनांक–28/01/2015 ई०।

प्रतिलिपि–सभी जिला के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधिश/आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/काराधीक्षक/सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/15

सरकार के अवर सचिव।